"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2004—कार्तिक 21, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ 1-5/2004/1/5.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2003/1/5 दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 के अनुक्रम में, सोमवार दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को "छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस" की चतुर्थ वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ 6-1/2001/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 के अंतर्गत निम्नांकित व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं :—

1. श्री अशोक दरबारी — अध्यक्ष
2. श्री चन्द्रशेखर साहू — सदस्य
3. श्री राधेश्याम देवांगन — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

क्रमांक/ई 04-02/2004/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-9-2004 द्वारा श्री आर. पी. जैन, कलेक्टर, धमतरी को दिनांक 25 अक्टूबर 2004 से 30 अक्टूबर 2004 तक आई. आई. एम. ए. अहमदाबाद में आयोजित प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया गया है. श्री जैन के प्रशिक्षण अवधि में कलेक्टर धमतरी का प्रभार श्री डी. आर. मंडावी, अपर कलेक्टर, धमतरी अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1056/1358/2004/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा में उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय दिनांक 1-11-2004 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उक्त कार्यालयों के कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होंगे :—

1. क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव - राजनांदगांव, दुर्ग व कवर्धा जिला
2. क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया - सरगुजा व कोरिया जिला
3. क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा - रायगढ़, कोरबा व जशपुर जिला

Raipur, the 29th October 2004

No. 1056/1358/2004/Estt./Four.—The State Government hereby pleased to sanction establishment of offices of the Deputy Director, Local Fund Audit, at Rajnandgaon, Korea and Korba under the Directorate of Local Fund Audit, with effect from 1-11-2004 Jurisdiction of the offices will be as follows :—

1. Regional Office, Rajnandgaon	-	Rajnandgaon, Durg and Kawardha District
2. Regional Office, Korea	-	Surguja and Korea District
3. Regional Office, Korba	-	Raigarh, Korba and Jashpur District.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बीसी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

क्रमांक 992/1348/2004/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 1-11-2004 से रायपुर जिले के 7 उपकोषालयों (अर्थात्-बलौदा बाजार, गरियाबंद, भाटापारा, आरंग, कसडोल, बिलाईगढ़, देवभोग) एवं कोरबा जिले के 1 उपकोषालय (अर्थात्-कटघोरा) में कोषालय धनादेश/चेक प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

Raipur, the 14th October 2004

No. 992/1348/2004/Estt./IV.—The State Government hereby accords sanction to implement Treasury Cheque System at 7 Sub-Treasuries in Raipur District (i.e. Balauda Bazar, Gariaband, Bhatapara, Arang, Kasdol, Bilaigarh, Deobhog) and 1 Sub-Treasury in Korba Distt.(i.e. Katghora) w.e.f. 1-11-2004.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2004

क्रमांक 2606/2965/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 5750/डी 2292/21-ब/छ. ग./04, दिनांक 21-9-2004 द्वारा अरूण कुमार प्रधान, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) कांकेर, छत्तीसगढ़ को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं इस विभाग को सौंपी गयी है, के अनुक्रम में श्री अरूण कुमार प्रधान को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/04.—राज्य शासन एतद्द्वारा पुलिस विभाग में सूबेदार (अ) स्टेनोग्राफर तथा सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर भर्ती संबंधी नियमों बाबत लागू एस. ओ. पी. 21 में सीधी भर्ती की पात्रता संबंधी शर्तों में शैक्षणिक अर्हता संबंधी पैरा 3(1) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रावधान स्थापित करता है :—

"शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् छत्तीसगढ़ द्वारा आलेखन एवं मुद्रलेखन हेतु निर्धारित प्रावधान लागू होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद तिवारी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 4-10-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद तिवारी, विशेष सचिव.

Raipur, the 4th October 2004

No. F-2-8/2 (Home)/S.P.F./04.—In partial modification of S.O.P. No. 21 on recruitment of Subedar (M) Stenographer, and Assistant Sub Inspector (M), the Government of Chhattisgarh hereby substitutes the following provision in place of para 3 (1) on educational qualifications :—

"Rules as prescribed by the Shorthand, Typing Examination Council Chhattisgarh for shorthand writing and typing."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TIWARI, Special Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक एफ-1-23/2004/13-1.—राज्य शासन द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग के आदेश क्रमांक 2479-ऊ. वि.-सचिव-2001, दिनांक 18-10-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं संदस्य के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया था. चूंकि अब विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो

है एवं उसकी जगह विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) राज्य में प्रभावशील हो गया है अतएव उक्त चयन समिति का गठन उक्त अधिनियम की धारा 85 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गय,. माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक एफ-1-23/2004/13-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-5-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष सचिव.

Raipur, the 19th May 2004

No. F-1-23/2004/13-1.—The State Government had, vide this department's order No. 2479-ED-Secy.-2001, dated 18-10-2001, in exercise of the powers conferred by section 18 of the Electricity Regulatory Commission Act 1998, constituted a selection committee for selection of Chairperson and Member of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission. Whereas the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 has ceased and now the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003) has come into force in the State, the selection committee will be deemed as to have been constituted in exercise of the powers conferred by section 85 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
ATUL KUMAR SHUKLA, Special Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर दिनांक 7 अगस्त 2004

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक /924/भू-अर्जन/01/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक/257/भू-अर्जन/01/अ-82/2000-01 कांकेर दिनांक 5-2-2003 के द्वारा जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 392 दिनांक 14 मार्च, 2003 एवं दैनिक समाचार नवभारत में प्रकाशित अनुसूची क्रमांक 4 में अर्जित भूमि 2.73 हेक्टर अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, अर्जित भूमि की वास्तविक रकबा 1.63 हेक्टर है संशोधन निम्नानुसार है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पी. व्ही. 9+115 सत्यानंदनगर	1.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	लघु जलाशय सिंचाई हेतु केनाल निर्माण.

कांकेर दिनांक 11 अगस्त 2004

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक /924/भू-अर्जन/01/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. कार्यालय अधिसूचना क्रमांक/257/भू-अर्जन/01/अ-82000-01 कांकेर दिनांक 5-2-2003 के द्वारा जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 392 दिनांक 14 मार्च, 2003 एवं दैनिक समाचार नवभारत में प्रकाशित अनुसूची क्रमांक 4 में अर्जित भूमि 2.73 हेक्टर अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, अर्जित भूमि की वास्तविक रकबा 1.63 हेक्टर है संशोधन निम्नानुसार है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पी. व्ही. 28+36 चांदीपुर	4.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	लघु सिंचाई जलाशय हेतु केनाल निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 अगस्त 2004

क्रमांक 438/क्र. 1/अविअ/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) केउपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बिरेझर	0.13	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	अंजोरा- चंगोरी मार्ग पर चंगोरी नाला सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2004

क्रमांक /क्यू./अ-82/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	मुड़पार प.ह.नं. 30	6.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004

क्रमांक 1283/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/11/अ/82/ 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	कोदोबतर	2.106	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोदोबतर उदवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	करदा	4.060	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	करदा व्यपवर्तन योजना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक 270/वा-1/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	जशपुर प. ह. नं. 28	0.259	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, जशपुर.	मवेशी बाजार हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	कोरंगा	0.850	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के कोरंगा उप शाखा नहर 3 चैन क्र. 0-36 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक 168/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	खोडरी	1.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर का निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7740/तक./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सोनाली प.ह.नं. 22	33.415	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7741/तक./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बेलरपुर प.ह.नं. 22	3.840	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7742/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोंगरा प.ह.नं. 21	3.945	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत मोंगरा वितरक शाखा नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7743/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सेम्हरबांधा प.ह.नं. 20	6.604	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत [illegible] वितरक शाखा नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7744/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	धानापायली प.ह.नं. 19	3.479	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत धानापायली वितरक शाखा नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7745/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	हाथीकन्हार प.ह.नं. 20	4.715	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत हाथीकन्हार वितरक शाखा नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7746/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मोहड़ प.ह.नं. 16	4.435	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव	मोंगरा परियोजना के बायीं तट नहर की डोंगरगांव वितरक शाखा निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन//04/1600.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	डुमरपारा प.ह.नं. 14	0.202	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), चांपा संभाग, चांपा.	बाराद्वार जैजैपुर मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/332.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पुरेनाबुढ़ा प.ह.नं. 14	0.74	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली जिला-रायगढ़ (छ. ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना जवाली वितरक नहर के अंतर्गत जवाली माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/334.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुंदरूझांझ प.ह.नं. 21	1.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनान्तर्गत गोपालपुर वितरक नहर के अंतर्गत प्रस्तावित कुंदरूझांझ माइनर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/340.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली प.ह.नं. 14	7.04	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली जिला-रायगढ़ (छ. ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना जवाली वितरक नहर के अंतर्गत जवाली माइनर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/342.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली प.ह.नं. 14	0.98	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली जिला-रायगढ (छ. ग.).	माण्ड व्यापवर्तन योजना के जवाली शाखा नहर से पुरेना माइनर क्र.2 के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/344.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हरदी प.ह.नं. 20	2.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग.	माण्ड व्यपवर्तन योजनान्तर्गत गोपालपुर वितरक नहर से निकलने वाली कुंदरूझांझ माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डभरा, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/358.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पुरेनाबुढ़ा प.ह.नं. 14	3.01	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली, जिला-रायगढ़ (छ. ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना जवाली वितरक नहर के अंतर्गत पुरेना माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/360.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	अमलडीहा प.ह.नं. 19	0.20	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली, जिला-रायगढ़ (छ. ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना मुक्ता वितरक नहर के अंतर्गत.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/362.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह प.ह.नं. 14	0.29	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, नंदेली.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत जवाली वितरक नहर अंतर्गत साराडीह माइनर निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन03-/04/496.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली प.ह.नं. 14	2.68	अनु. अधिकारी, जल संसाधन अनु. नंदेली.	माण्ड व्यपवर्तन योजनान्तर्गत जवाली वितरक नहर के अंतर्गत साराडीह माइनर निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03-04/498.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मड़वा प.ह.नं. 20	1.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के गोपालपुर वितरक नहर से सिरौली माइनर के निर्माण हेतु..

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03-04/500.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी प.ह.नं. 12	2.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना के जवाली वितरक नहर निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03-04/502.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी प.ह.नं. 12	1.77	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ.ग.).	माण्ड व्यपवर्तन योजना अंतर्गत जवाली वितरक नहर से गुर्मीडीह माइनर निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03-04/492.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मड़वा प.ह.नं. 20	1.24	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के गोपालपुर वितरक नहर से डोमनपुर माइनर के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03-04/494.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरौली	1.24	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के गोपालपुर वितरक नहर से सिरौली माइनर के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्र. 5/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-खैजा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.071 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1190	0.016
1189/1	0.178
1194	0.012
1195/1	0.202
1288	0.065
1209	0.024
1189/2	0.049
1201	0.040
1196	0.081
1282/1	0.032
1207	0.024
1208	0.020
1212/2	0.020
1221	0.012
1222	0.012
1287	0.045
1282/2	0.045
1220/2	0.032
1213	0.081
1214/1	0.081
योग 20	1.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मुख्य मार्ग से खेंजा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जनवरी 2004

रा. प्र. क्र. 63/अ-82/02-03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नया बाराद्वार, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
776/1	0.028
778	0.032
777	0.036
780/1	0.141
780/2	0.040

(1)	(2)
780/3	0.024
783	0.020
781	0.307
784	0.012
785/1	0.040
786/1	0.016
787	0.016
782/1	0.012
782/2	0.012
911	0.101
योग 15	0.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, (राजस्व), सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 जनवरी 2004

क्रमांक 6/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमोरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1086/3	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-धाराशिव अवरीद मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 470/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अरसिया, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.635 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
335/2	0.024
335/4	0.065
334/3	0.004
926	0.028
913/1, 913/1 क	0.141
913, 913/2	0.036
884/1	0.125
1224/1	0.152
1312/2	0.089
934/1	0.024

(1)	(2)
934/2	0.036
1250/2	0.036
1312/6	0.049
1250/1	0.036
109	0.246
1271/4	0.092
1270	0.004
1261/4	0.097
334/2	0.032
935/1	0.024
106/1	0.085
383	0.020
336/2	0.077
923/1, 881/2 ख , 924/2	0.040
1265/8	0.012
884/2	0.061
योग 24	1.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेंदरी उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 471/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.088 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
779/2	0.008
778/1 ग	0.020
790/2	0.008
761/3	0.020
776, 777/4	0.004
767/1	0.028
योग	0.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुआडीह माइनर (मुक्ता उप वितरक नहर).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 472/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.890 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
175	0.041
164	0.017
162/1	0.004

(1)	(2)
100/1	0.004
605/1	0.032
612/2	0.026
612/1	0.006
617/2, 3	0.068
618/1	0.006
667	0.011
693	0.014
695	0.073
705	0.011
704/2	0.017
806/1	0.012
802/3	0.030
847	0.010
846	0.015
825	0.016
830	0.008
804	0.018
616/1	0.004
619/1	0.036
626	0.009
668	0.015
165	0.020
162/2	0.036
100/2	0.004
161/1	0.013
156	0.023
155/1	0.019
101	0.016
100/3	0.008
99/2	0.006
26/2	0.036
26/5	0.017
25	0.028
24	0.006
10	0.006
4/2	0.023
4/1	0.020
96	0.015
638	0.003
637/3	0.008
663	0.011
692	0.024
621	0.004
71/2	0.047
योग	0.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचन्दा उप-वितरक माइनर 2 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 473/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अरसिया, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1523	0.020
1281/1	0.085
1271/5	0.081
1309/1, 2	0.036
1295	0.024
1299	0.020
1276/1	0.049
1298/1	0.040
1987	0.057

(1)	(2)
1271/4	0.020
1278	0.045
योग	0.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेन्दरी उप-वितरक नहर (अरसिया माइनर 2).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 474/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.867 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1750/1	0.008
1750/2	0.004
1791/5	0.036
1892	0.016
1903, 1904	0.130
1830	0.040
1823/1	0.101
1792/2	0.116
1902/2	0.236
1757/1	0.060
1792/1	0.032
1791/3	0.113
1792/3	0.004
1890/2	0.024
1828/2	0.040
1825	0.101
1831	0.101
1759	0.008
1755/1	0.024
1005/2	0.028
1791/8	0.004
1157	0.040
1900/3	0.008
1900/5	0.048
1834, 1833/2	0.180
1833/1	0.120
1005/3	0.028
1891	0.024
1836	0.100
1895/2	0.020
155/1	0.044
156	0.028
योग	1.867

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुक्ता उप-वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 475/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-ओड़ेकेरा, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3117/3	0.008
3117/8	0.024
3117/5	0.034
3116/1, 3112	0.010
3113	0.006
2866/1	0.002
3114/1	0.016
3115/1	0.002
3105/1, 2	0.026
3100	0.044
3082	0.004
3076/1	0.004
3077/1	0.004
3078	0.004
2885/2	0.014
2891/2	0.004
2905/2	0.002
2898	0.006
2650/1	0.004
1433	0.012
1432	0.006
2788/2	0.014
2787	0.004
2773/2	0.020
2773/1	0.081
2749	0.012
2671/3	0.002
2671/4	0.002
2671/7	0.026
2671/10	0.002
2650/2	0.010
2651	0.012
2652/1	0.016
1424	0.004
1435/2	0.008
1430	0.069
योग 36	0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरेठीकला माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 476/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.742 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2396	0.049
2439	0.020
2440	0.065
2318	0.020
2320/1	0.117
2314	0.024
2331/2	0.024
2331/3	0.053
2331/4	0.008

(1)	(2)
2310/1	0.057
2308/2	0.138
2327/2	0.032
2321	0.135
योग	0.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेंदरी-उप-वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 477/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरदीडीह, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
287/2	0.003
287/3, 297/5	0.032
290	0.057
योग	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ब्रांच माइनर 2 एल/आफ माइनर 2 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 478/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
13/2 ग	0.040
11/10	0.061
11/3	0.069
11/9	0.020
13/1 ख, 13/2	0.020
योग	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गलगलाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 479/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-सेंदरी, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246/3	0.020
254/3	0.028
254/6	0.061
254/1, 2	0.004
254/5	0.085
267, 268	0.049
273	0.032
272/1	0.004
2093	0.016
276	0.016
279/1	0.040
1221	0.056
1215	0.028
1288/3, 1290/3	0.150
1289/1	0.040
1289/4	0.020
1288/5, 1290/5	0.045
1288/2, 1290/2	0.045
1288/4, 1290/4	0.040
1103/2, 1162/3, 1104	0.024
1175	0.088
1111/1	0.016
1112/1 झ	0.016
1111/2	0.008
1112/1 ग	0.024
1112/1 ड	0.024
1112/1 क	0.064
978/4	0.053
985/1	0.032
982	0.036
986	0.008
988	0.004
981/2	0.036
910	0.012
911/2	0.008
909/1	0.040
909/2, 911/1	0.061
906/1, 906/2	0.109
280/1	0.008
901/2, 902/4	0.089
903/1, 2	0.028
898/1	0.008
894/4	0.016
581/1, 2	0.028
592/2	0.048
1111/3	0.048
1112/1 ट	0.028
1133/2 1132/2	0.012
1289/2	0.008
1112/2	0.040
1161/1	0.020
1161/2	0.020
585/3	0.061
906/3	0.069
900/2, 3	0.077
579	0.073
1209	0.004
589/3	0.012
1185	0.012
617/2	0.020
2087/3	0.028
1207/3	0.040
1290/7, 1288/7	0.056
1130	0.044
योग	2.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेंदरी उप-वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 480/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बैहागुडरू, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.238 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
730/2	0.004
725/2	0.008
726	0.002
802	0.028
801	0.016
944	0.002
819	0.006
821/1	0.004
820	0.008
826/6	0.006
916/1	0.004
918/1	0.004
915	0.004
919/1	0.004
935	0.004
939/3	0.008
939/1	0.010
940/3	0.008
940/9	0.004
940/4	0.004
952	0.008
953	0.004
951	0.010
956	0.006
960	0.012
938/2	0.024
802	0.036
योग 23	0.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुडरू माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 481/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.589 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128	0.020
129/4	0.012
149/2, 149/3	0.012
152/3	0.004
152/2	0.040
150/1, 2	0.036
131/4	0.065
151	0.032
163	0.077
160	0.032
161	0.101
1830	0.064
1823/1	0.077
1828/2	0.040

(1)	(2)
145	0.012
152/1	0.004
योग	0.589

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुवाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 482/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ता, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
98	0.061
103/2	0.032
88	0.121
87/1	0.024
84	0.065
योग	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चोरभट्टी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 483/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोडेकेरा प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.503 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2649/5	0.088
2649/4	0.016
2648	0.004
2676	0.016
2677	0.036
2682	0.012
2681	0.016
2691/2	0.008
2701	0.024
1814/2	0.052
1815/1, 4	0.016
1798	0.012
1792, 1793	0.008
1786/2, 1787/2	0.008
1760/1	0.012
1720	0.004
1714/2	0.004
2685/1	0.028
1721/2	0.004
1713/2	0.035
1476/2	0.044
1733/3	0.028

(1)	(2)
2683	0.012
2706	0.016
योग	0.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरेठीकला ब्रांच माइनर. I आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 484/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-जैजैपुर
  (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.877 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4751/3	0.024
4752	0.028
6326/2	0.040
6325/2	0.061
6327/2	0.105
6329/4	0.126
5984/2	0.028
6015	0.069
5971/1	0.020
5988	0.016
6011	0.032
5990	0.020
5999/3	0.004
6013	0.016
6016	0.061
6018	0.070
6019	0.061
4749/1	0.028
4750	0.032
4748/3	0.028
6328	0.008
योग	0.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जैजैपुर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 485/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-जैजैपुर
  (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 22
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/3	0.004
94/1	0.004
88	0.016
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदूली माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 486/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ता, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1315/2	0.028
544	0.267
118/1, 115	0.028
135/2, 136/2, 137/2	0.032
135/1, 136/1, 137/1	0.012
478/1 ख	0.020
450/1	0.004
450/2	0.004
449	0.004
1284/20	0.032
1339/1	0.004
1316	0.004
1339/2	0.008
1339/3	0.012
1339/4	0.004
1359/2	0.020
1359/1	0.024
1361, 1360	0.004
1362, 1370	0.004
1395/1, 2, 3	0.016
389	0.112
1556	0.004
1570	0.024
1576/2	0.051
463/3	0.068
योग	0.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुक्ता उप वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 487/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्द्री, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.562 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1221	0.016
1215	0.004
1326/2	0.036
1218	0.032
1210, 1212	0.008
1257/2, 1257/1 ख	0.012
1257/3	0.028
936/1	0.096
1259	0.020

(1)	(2)
1288/1, 1290/1	0.024
1301	0.012
1296	0.008
1322	0.016
1326/1	0.060
933/1, 933/2	0.194
933/3	0.049
1659/1	0.049
1659/4	0.049
1659/3	0.096
937/9, 938/9	0.076
933/5	0.072
1306/2	0.040
1081/3, 1293/4	0.032
944/1	0.160
1293/3	0.008
1293/6	0.032
1659/2	0.080
1256	0.065
943/2	0.112
932/1 जं, घ	0.036
1302/3	0.016
1660	0.024
योग 31	1.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेन्द्री माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 488/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1334/3	0.037
1344	0.024
1342/4	0.024
योग	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा कला माइनर-1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 489/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-टेमर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
427/2	0.028
419/3	0.081
438/2	0.020
योग	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारपारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 491/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नवापाराकला, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
289/3	0.028
363/1	0.016
478/3	0.024
371/3	0.016
405/1	0.033
योग	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहदीकला वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 505/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.284 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
सारसडोल माइनर	
27/11	0.012
27/12	0.061
62/8	0.045
150/38	0.117
62/6	0.008
62/2	0.008
167/1 ग	0.008
150/2	0.113

(1)	(2)
147/29	0.008
150/3	0.324
150/28	0.057

पोता उप वितरक

(1)	(2)
27/2	0.109
27/6	0.304
25/2	0.045
25/7	0.065
योग	1.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारसडोल माइनर/पोता उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 506/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.389 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1241/3	0.0252
1241/8	0.0812
1316/1	0.0728
1235/1	0.121
1235/6	0.089
योग	0.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अड़भार माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 507/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.420 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
360/2	0.0[illegible]
515/1	0.024
514	0.05[illegible]
460/2	[illegible]
512/2	0.05[illegible]
558/2, 4	[illegible]
578/2	0.0[illegible]

(1)	(2)
572	0.032
502/2	0.040
289/3	0.097
343/1	0.016
281/8, 9	0.012
559/2	0.024
योग	0.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/लिमगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 508/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चंदेलाडीह, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
177/1, 177/3	0.020
168/2	0.036
168/3	0.032
158/5, 6	0.049
योग	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करिगांव सब माइनर 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 509/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बंदोरा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1210/2	0.073
1215/2	0.040
1215/3	0.061
1215/1	0.024
1211/1	0.008
1221/3, 1222/3	0.154
979	0.012
योग	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चरौदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 510/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चंदेलाडीह, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.750 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176/3	0.122
42/3	0.101
42/1	0.096
41/8	0.008
43/2	0.024
43/3	0.069
284/2, 286/2	0.016
49/2, 3	0.089
44/3	0.028
51/5	0.028
184/2	0.024
181/2	0.049
109	0.040
278/4, 281/2	0.020
92/9	0.036
योग	0.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करिगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 511/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-आमनडुला, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67/3	0.049
91/2	0.008
योग	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करिगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 512/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186/2	0.093
186/1	0.089
187/3	0.012
योग	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चरौदी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 447/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा.
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.855 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
622/10	0.081
793/8	0.060
769/1, 4.	0.056
793/7	0.044
768/1	0.028
452	0.060
451, 450/1	0.081
628/4-7	0.064
641/1	0.064
616/2	0.036
624/5	0.048
635/5	0.113
450/2	0.060
769/4	0.060
योग	0.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 448/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.531 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1107/3	0.065
1107/2	0.053
373/1	0.008

(1)	(2)
372/3	0.008
1140/9, 10	0.028
1111/1	0.028
1111/3	0.016
1133/2, 3	0.081
1147/1, 2, 3, 4, 5	0.004
1151/2	0.004
466	0.020
1255/14	0.016
463/2	0.020
1232/6	0.016
1215/2	0.032
1220/4	0.020
469	0.020
1175	0.012
1140/13	0.008
1107/1	0.072
योग	0.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 449/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भठोरा, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
902/2	0.045
518/2	0.008
393/2	0.040
717	0.028
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भठोरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 450/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.833 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
583/2	0.032
735/1	0.016
735/4	0.045
496/2	0.081
413	0.016

(1)	(2)
500/4	0.032
501/1	0.032
502	0.004
503, 504	0.049
517/3	0.032
190/2	0.032
191/11	0.032
191/6	0.004
734	0.425
योग	0.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिरदा माइनर I नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 451/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
456/3	0.016
457/1	0.052
460	0.072
475/5	0.048
430/5	0.056
429/4	0.012
421/2	0.012
456/11	0.008
456/15	0.008
योग	0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीडीह ब्रांच सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अर्मलीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
145	0.061
151/5, 157/5, 158/5	0.040
151/6	0.024
योग 3	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सरवानी जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.347 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/2	0.146
9	0.032
8/3	0.065
10	0.482
11	0.097
12	0.097
13/1	0.097
13/2	0.093
14	0.238
योग 9	1.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कोतमरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.641 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.077
13/2	0.032
26	0.077
26/2	0.049
28	0.158
59	0.049
60	0.036
57	0.020
53	0.068

(1)	(2)
29/1	0.085
29/2	0.073
54/3	0.036
50/2, 54/2, 55/2	0.028
58/2	0.016
91/1	0.097
92	0.101
94/633/1	0.162
94/633/3	0.074
945/633/2	0.371
100/1	0.032
योग 18	1.641

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सरवानी जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-लोहाखान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.647 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
594/1	0.150
265/1	0.279
595	0.016
601	0.105
602/1	1.197
266	1.048
287	0.206
252	0.008
607/2	0.502
607/1	0.676
597	0.600
603	0.109
608	0.454
602/2	0.486
598	0.202
599	0.049
594/2	0.243
604/2	0.267
265/2	0.304
264/2	0.146
265/3	0.158
250	0.121
251	0.021
249/2	0.028
600	0.146
611/1	0.040
611/2	0.065
611/4	0.021
योग 28	7.647

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लोहाखान जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-देवबहाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.870 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61/3	0.267
61/4	0.097
61/3	0.259
62	0.247
योग 4	0.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-झारगुड़ा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जतरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.082 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
790/6	0.121
790/2	0.011
791/3	0.194
793/1	0.105
791/1	0.020
792/2	0.154
792/1	0.129
794/1 क, 803	0.202
802	0.016
801	0.071
804	0.027
805/2	0.030
836/4, 837/7	0.017
836/1, 837/2	0.094
836/3, 837/6	0.110
837/3	0.134
837/1	0.138
837/4	0.133
949/3	0.046
930/1	0.089
948/3	0.139
930/2	0.374
930/3	0.202
949/2	0.186
948/7	0.219
949/1	0.121
योग 26	3.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कोतमरा [illegible] भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 200[illegible]

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2003-04.—[illegible] को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे [illegible] पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में [illegible] के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अ[illegible] 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इस[illegible] है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए [illegible]

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पठियापाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.416 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/1	0.102
16/6	0.024
105/5	0.045
111/6	0.040
128/3	0.040
16/4	0.024
105/7	0.024
111/4	0.020
128/2	0.041
17/1	0.053
112	0.283
117/3	0.117
125	0.243
17/6	0.037
110/3	0.065
99/3	0.178
105/3	0.125
111/3	0.073
121/2	0.097
126/1	0.184
15/2	0.057
99/2	0.041
101/2	0.105
15/5	0.037
16/5	0.024
105/6	0.024
111/5	0.020
17/2	0.012
19/2	0.016
101/3	0.272
105/2	0.089
113	0.064
114/2	0.045
103	0.713
16/1 ख	0.024
16/3	0.024
101/1	0.206
128/1	0.162
15/4	0.069
17/3	0.008
110/2	0.036
110/5	0.027
117/1	0.057
19/1 क	0.016
114/1	0.023
99/1	0.061
121/1	0.065
123/2	0.186
104/1	0.232
104/2	0.255
105/8	0.041
111/1	0.041
119/2	0.210
126/2	0.101
104/5	0.116
119/5	0.035
106/1 क	0.069
14/1	0.264
14/2	0.111
106/4	0.134
122	0.040
127	0.081
115/1	0.040
107/3	0.117
104/3	0.116
106/1 ख	0.020
107/2	0.235
104/4	0.116
119/4	0.035
107/4	0.117
105/4	0.045
118	0.113
121/3	0.105
123/1	0.186
106/2	0.135
115/2	0.040
124	0.162
106/3	0.134
115/3	0.040

(1)	(2)
107/1	0.474
107/7	0.235
108/4	0.135
110/4	0.057
107/5	0.237
108/2	0.170
109	1.400
115/4	0.040
106/5	0.071
111/2	0.073
107/6	0.235
108/3	0.214
110/1	0.123
117/2	0.069
114/3	0.022
119/1	0.070
15/9	0.371
105/1	0.125
108/1	0.320
115/5	0.040
104/6	0.116
119/6	0.035
योग	12.416

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पठियापाली जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक़्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रा[illegible]ढ़
- (ख) तहसील-[illegible]गढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डंडाईडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-बैगामुड़ा जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मारोदरहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.919 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
267/3	0.344

(1)	(2)
270/1 क	0.045
267/4	0.018
338	0.101
274/2	0.077
270/1 ख	0.126
275	0.036
274/3	0.074
279/1	0.041
279/2	0.051
269/2	0.045
279/5	0.036
283/2	0.081
285/2	0.243
287/1	0.219
287/2	0.146
296/1-339/1/1	0.131
277/1	0.131
297/2क-297/2 ख-299/1/1	0.041
299/2	0.016
297/1 क	0.065
273	0.089
274/1	0.077
279/7	0.101
280	0.072
271	0.065
279/8, 281/3	0.141
269/1	0.044
286	0.057
293/1	0.484
295	3.520
283/3	0.150
300/2	0.061
288	0.186
289/2	0.291
290, 291	0.470
292	0.129
289/1	0.061
293/2	0.129
300/3	0.069
297/1 ख	0.109
[illegible]	0.028
296/1, 339/1/2	0.065
270/2	0.125
277/2	0.041
297/2 क, 297/2 ख, 299/1/2	0.049
276	0.053
278	0.186
योग	8.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-बैगामुड़ा जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त/उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-बलौदाबाजार
 (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 16/66
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
378	0.053
योग	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खम्हरिया से चिचोली मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदा-बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायपुर
  (ख) तहसील-पलारी
  (ग) नगर/ग्राम-रींवाडीह, प. ह. नं. 124
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
153	1.05
योग	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भवानीपुर से रींवाडीह मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदा-बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2003

क्रमांक/भू-अर्जन/36 अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायपुर
  (ख) तहसील-बिलाईगढ़
  (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 17
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.936 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88	0.085
92/3	0.024
92/4	0.075
99/1	0.012
99/2	0.024
99/3	0.024
102	0.021
104	0.024
105/1	0.016
105/2	0.016
106	0.032
107	0.036
129	0.020
130	0.016
132/3	0.028
136/1	0.045
137/1	0.020
138	0.041
424/2	0.070
136/2	0.020
137/2	0.056
139/1	0.032
214/4	0.020
140/3	0.049
140/1, 2, 4	0.008

(1)	(2)
214/1	0.049
215/1	0.008
213/1	0.012
213/2	0.105
644/1	0.069
644/4	0.041
642/3	0.069
210/3, 211/2	0.008
422/6	0.032
328/4	0.060
205/2	0.016
197	0.016
205/1	0.033
641/1	0.081
209/2, 210/1	0.024
209/3	0.008
251/5	0.008
642/5	0.008
251/6	0.025
643/2	0.024
642/1	0.049
210/2	0.041
196/1	0.041
196/2	0.041
424/1	0.081
464	0.152
422/3	0.012
463/4	0.037
425/4	0.008
446	0.089
447	0.180
448	0.041
439	0.008
644/3	0.123
644/2	0.124
641/2	0.109
199/1	0.008
199/6	0.037
199/3	0.008
422/1	0.041
328/1	0.016
328/7	0.028
211/1	0.049
328/2	0.016
422/5	0.087
योग 70	2.936

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है खपरीडीह शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/04 /अ/82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-नागलदेही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.25
113	4.04
3	0.54
17	0.40
4	0.64
5	0.90
10	0.26

(1)	(2)
6	0.20
7	0.15
8	0.15
11	0.37
12	0.59
115	1.44
13	0.37
14	0.42
15	0.53
16	0.34
19	0.48
18/1	0.11
18/3	0.12
18/2	0.20
18/6	0.06
18/4	0.14
18/5	0.14
18/7	0.04
20	0.26
21	0.10
22	0.38
101/2	1.20
105	0.40
101/1	1.40
103	0.28
106	0.42
104	0.96
107/1	0.68
107/2	0.68
111/1	0.25
112/1	0.09
111/2	0.20
112/2	0.09
114	2.11
116	1.20
131	3.35
132	0.10
134	0.10
135	0.38
136	1.10
योग 47	28.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के लिये भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2003

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/05 अ/82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-धूपकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
238	0.25
239	0.77
243	0.06
240	0.23
141/1	0.29
241/2	0.08
242	1.04
244	0.06
272	0.18
245/1	0.55
245/3	0.50
259/1	0.56
245/2	0.27
268/1	0.32
258/1	0.08
346	0.37
268/2	0.09
258/2	0.32
247	0.25
257	0.31
248	0.22
250	0.24
258	0.18
249	0.19
252	0.16

(1)	(2)
266	0.38
251	0.64
253/2	0.12
254	1.22
263	0.34
264	0.07
390	0.12
255	0.89
267	0.25
260	1.38
261	0.13
355	0.37
270	3.22
271/1	0.65
271/2	0.69
273	1.20
343	1.08
245	0.30
348	0.09
377	1.50
349	0.57
350	2.33
352	0.31
360	0.72
353	0.40
361	0.62
385	0.56
365	0.46
367	0.10
373/1	0.44
373/2	0.36
378	0.75
373/3	0.34
384/1	0.32
391/1	0.08
380	0.20
योग	30.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के लिये भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2003

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/06/अ/82-2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सूकलीभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
362	0.28
372/1	1.13
373	0.08
374	0.49
384	1.84
390	0.49
392	0.46
393	0.89
388	0.33
326	1.05
327	0.37
375	0.11
376	0.48
377	0.47
381	0.66
382	1.44
383	0.58
390	0.38
395	0.52
396	0.26
397	0.36
398	0.16
399	0.04
320	0.07
370	0.77

(1)	(2)
328	0.09
325	1.11
378	0.38
379	0.42
330	0.30
332	0.32
333	0.65
334	0.28
335	0.04
292	0.20
293	0.51
294	0.17
295	0.13
324	0.56
315	0.04
321	0.05
322	0.15
291	0.18
296	0.07
309	0.56
310	0.06
323	0.12
290	0.02
314	0.32
297	0.36
298	0.02
313	0.15
312	0.18
307	0.07
308	0.19
410	0.62
437	0.22
436	0.60
426	0.52
428	0.30
409	0.28
385/2	0.12
योग 62	24.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के लिये भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 6/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-नवागढ़
(ग) नगर/ग्राम-ढनढनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
569/2	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भदौरा व्यपवर्तन अंतर्गत नहरनाली निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 20/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-ओटेबंद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
534	0.34
536/1	0.02
536/2	0.21
536/4	0.20
545/1	0.02
545/2	0.01
549	0.16
550	0.07
570	0.38
571/3	0.04
581	0.12
569	0.04
573	0.05
574/2	0.02
582	0.09
580	0.16
583/3	0.01
578	0.01
योग	1.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 21/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-खिलोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.04
13	0.05
11	0.07
178	0.10
12	0.12
111	0.24
115	0.03
116	0.08
987	0.11
118	0.16
123	0.12
126	0.07
127	0.07
156	0.01
157	0.10
198	0.05
159	0.03
160	0.12
161	0.13
177	0.08
185	0.11
186	0.04

(1)	(2)
187	0.10
188	0.01
196	0.04
201	0.11
422	0.20
977	0.20
986	0.15
195	0.10
197	0.06
988	0.16
982	0.24
14/1	0.07
979	0.14
1003	0.13
423	0.01
125/1	0.05
124/1	0.10
124/2	0.03
119/1	0.16
119/2	0.17
117/2	0.14
184/1	0.02
184/2	0.06
981/2	0.10
985/1	0.02
985/4	0.16
योग	4.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 24/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-अमोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.04
योग	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन (अमोरा माइनर).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 322/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-अड़बंधा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127/1	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प आर. बी. सी. योजना के अंतर्गत बोहारडीह माइनर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2004

क्रमांक 797/15 अ-82/भू-अर्जन/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यहं घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-नांहदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46	0.05
295	0.18
330/1	0.03
333	0.02
65/1	0.16
296	0.07
331/1	0.03
292	0.10
297	0.14
331/2	0.03
योग	0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नाहंदा जलाशय बॉबी नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पाटन में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2004

क्रमांक 13/A 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1-०६) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-सकोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655	0.158

(1)	(2)
660	0.053
644/1	0.101
644/2	0.097
653/1	0.032
642/1	0.121
646/2	0.049
659	0.101
641/2	0.020
645	0.069
654/2	0.016
652/1	0.053
643	0.032
650	0.024
644/3	0.032
641/1	0.081
652/2	0.049
योग 17	1.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2004

क्रमांक 15/A 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पर्करिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.2539 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
151/10	0.627
169/15	0.137
142/6	0.308
158	0.214
157/4	0.186
151/16/2	0.162
151/16/1	0.186
151/31 ख	0.085
151/36 ख	0.166
157/5	0.182
योग 10	2.253

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 16/A-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पतरकोनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15/7, 15/11, 19/1	0.069

	(1)	(2)
	21/3	0.040
योग	2	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय की पतरकोनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2004

रा. प्र. क्र./18/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-गेरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61	0.061
176	0.004
349	0.049
164	0.016
168	0.024
386	0.093
391	0.032
411	0.008
406	0.069
430	0.024
461	0.061
447	0.008
477	0.129
485/1	0.174
1261/3	0.162
62	0.142
177	0.004
161	0.012
165	0.012
169	0.020
388	0.081
395	0.049
405	0.012
407	0.008
431	0.040
434	0.008
450	0.093
479	0.073
495/1	0.081
63	0.101
64	0.081
162	0.085
166	0.061
347	0.004
351	0.028
397	0.081
465	0.053
408	0.036
432	0.012
435	0.004
455	0.101
480	0.223
496/1	0.291
170	0.040
348	0.004
163	0.020
167	0.020

(1)	(2)
356	0.231
352	0.020
403	0.040
475	0.073
429	0.061
433	0.012
445	0.020
463	0.093
478	0.134
1260	0.073
योग	3.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेरसा जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2004

रा. प्र. क्र./20/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-केराकछार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.947 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
241/1	0.045
107/2	0.042
243/1	0.004
243/9	0.081
152/5	0.040
105/7	0.008
152/2	0.057
150/1	0.049
243/2	0.056
245/2	0.081
105/6	0.041
102/2	0.049
107/1	0.024
149	0.028
243/3	0.036
242/3	0.040
105/8	0.024
106/2	0.024
148/4	0.065
244/1	0.040
243/5	0.021
144	0.024
243/4	0.040
105/1	0.040
योग	0.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केराकछार जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2004

रा. प्र. क्र./28/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-कण्ठी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर -

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.069
51	0.065
22	0.024
23/1	0.053
50/1	0.049
योग	0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांक परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक 07/04/2003/2610.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 76/छ. ग.-वि. स./2003/9103, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 एवं आदेश संख्या 76/छ. ग.-वि. स./2003, दिनांक 8 सितम्बर, 2004 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(बी. एल. अग्रवाल)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 8 सितम्बर, 2004—17 भाद्रपद, 1926 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2003 .—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहा है;

और, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2003	**40—रायपुर नगर**	श्री जुगनू आलम, गाजी नगर मस्जिद के पास बीरगांव, छत्तीसगढ़	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
2.	—वही—	**41—रायपुर ग्रामीण**	डा0 टी. के. राव, रावण पुतला के सामने मेन रोड, राजेन्द्र नगर रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
3.	—वही—	**—वही—**	लला राम वल्द खोरबहरा, ग्राम—टुण्डा, पो. सेजबहार, तहसील व जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
4.	—वही—	**—वही—**	हरेश कुमार मटलानी, फरिश्ता अस्पताल के पास क्टोरातालाब, रायपुर छत्तीसगढ़	
5.	—वही—	**42—अभनपुर**	श्री शेखूराम बंजारे, ग्राम व पो. कुर्रू, तहसील अभनपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
6.	—वही—	**45—धरसींवा**	श्री शिंराज अनवर (बाबी सर), सेक्टर —1, शिवानंद नगर, खमतराई, डब्ल्यू. आर. एस. कालोनी जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
7.	—वही—	—वही—	श्री निषादराज उमाशंकर विनायक, ग्राम व पोस्ट फुडहर, (देवपुरी) तह. व जिला—रायपुर छत्तीसगढ़	—वही—
8.	—वही—	**46—माटापारा**	श्री देबिन बाई नेताम, म. क्र. 33, ग्राम लावर, तह. सिमगा जिला—रायपुर छत्तीसगढ़	—वही—
9.	—वही—	—वही—	श्री भगत राम, ग्राम—चकरवाय, पो. दामाखेड़ा तह. सिमगा, जिला—रायपुर छत्तीसगढ़	—वही—

1	2	3	4	5
10.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2003	–वही–	श्री विदेशी टंडन, ग्राम –सेन्दरी, पो. भाटापारा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
11	–वही–	**49–कसडोल**	श्री दिनेश मिश्रा, ग्राम –गोरधा, पो.–मोहतरा कसडोल, तह. कसडोल जिला–रायपुर, छत्तीसगढ	–वही–
12	–वही–	–वही–	श्री अनिल तिवारी, बजरंग चौक, कसडोल, तह.–कसडोल जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़	–वही–
13.	–वही–	–वही–	श्री गौरीशंकर साहू, ग्राम व पोस्ट पुरगांव, व्हाया बिलाईगढ़, जिला–रायपुर छत्तीसगढ	–वही–
14	–वही–	–वही–	श्री नरेश कुमार ग्राम व पोस्ट नरदहा, तहसील व जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़	–वही–
15	–वही–	–वही–	श्री नारायण साहू, बजरंग चौक, साहू मोहल्ला टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़	–वही–
16	–वही–	–वही–	श्री सूर्यप्रकाश, ग्राम व पोस्ट –पिसीद, तहसील–कसडोल, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़	–वही–
17.	–वही–	**51–राजिम**	श्री शंभूराम कुंजाम (पेन्टर), ग्राम व पो. अतरमरा, थाना–राजिम तह.–गरियाबंद, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़	–वही–

आदेश से,
हस्ता./-
(आनन्द कुमार)
निदेशक (प्रशा.) सह-प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 8th September, 2004—17 Bhadrapada, 1926 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2003.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses within the specified time and/or in the manner required by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

S.NO	Particular of election	S.No. & Name of Assembly Constituency	Name & Addressed of contesting candidate	Reason for disqualification
1.	2.	3.	4.	5.
1.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly. 2003	**40 – Raipur City**	Juganu Alam, Ganji Nagar, Near Masjid, Veergaon, Raipur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	**41- Raipur Rural**	Dr. T. K. Rao, Opp. Ravan Putla, Main Road. Rajendra Nagar. Raipur, Chhattisgarh.	-do-
3.	-do-	-do-	Lala Ram Vald Khorbahra, Vill. Tunda, Post-Sejbahar, Tahsil and District – Raipur, Chhattisgarh.	-do-
4.	-do-	-do-	Haresh Kumar Matlani, Near Farishta Hospital. Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh.	-do-
5.	-do-	**42-Abhanpur**	Shekhu Ram Banjare, Vill. & P.O. – Kurru, Tah.- Abhanpur, District – Raipur, Chhattisgarh.	-do-
6.	-do-	**45- Dharsiwa**	Shiraj Anwar (Boby Sir), Sec.- 1, Shivanand Nagar, Khamtarai, WRS Colony, District – Raipur Chhattisgarh.	-do-

1.	2.	3.	4.	5.
7.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003	**45- Dharsiwa**	Nishadraj Uma Shankar Vinayak, Vill.- Fundhar (Deopuri), Th. & Distirct – Raipur, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses.
8.	-do-	**46-Bhatapara**	Debin Bai Netam, H.No. 33, Vill.- Lawar, Tahsil-Simga, District-Raipur, Chhattisgarh.	-do-
9.	-do-	-do-	Bhagat Ram, Vill.-Chakarway, Po.- Damakhera, Tahsil-Simga, District-Raipur, Chhattisgarh.	-do-
10.	-do-	-do-	Videshi Tandon, Vill.-Sendri, P.O. - Bhatapara, District – Raipur. Chhattisgarh.	-do-
11.	-do-	**49- Kasdol**	Dinesh Mishra, Village-Gordha, Post-Mohtara (Kasdol), Tahsil-Kasdol; District – Raipur. Chhattisgarh.	-do-
12.	-do-	-do-	Anil Tiwari, Bajrang Chowk Kasdol. Tahsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh.	-do-

1.	2.	3.	4.	5.
13	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003	**49- Kasdol**	Gourishankar Sahu, Village & Post-Purgaon, Via.-Bilaigarh, District-Raipur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
14.	-do-	-do-	Naresh Kumar, Village & Post-Nardaha, Tahsil and District – Raipur, Chhattisgarh.	-do-
15	-do-	-do-	Narayan Sahu, Bajrang Chowk, Sahu Mohalla, Tikrapara, Raipur, Chhattisgarh.	-do-
16.	-do-	-do-	Suryaprakash , Village & Post-Pisid, Tahsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh.	-do-
17.	-do-	**51- Rajim**	Shambhu Ram Kunjam (Painter), Village & Post Atarmara, Thana-Rajim, Tahsil-Gariyaband, District-Raipur, Chhattisgarh.	-do-

By order,
Sd/-
(ANAND KUMAR)
Director (Admn.) Cum-Principal Secretary.
Election Commission of India.